न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 358–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–11–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 65/2015–16/अपील.

1– पवन पिता लक्ष्मीनारायण खाती
2– सोहन पिता लक्ष्मीनारायण खाती
3– सोदराबाई पति लक्ष्मीनारायण खाती
निवासीगण ग्राम भोंडिया नगर पालिका क्षेत्र
पीथमपुर, तहसील व जिला धार

.............आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार,
धार, तहसील धार जिला धार
2– म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग, धार

..............अनावेदकगण

श्री खालिद निसार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, जिला धार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के कब्जे, उपयोग एवं उपभोग की ग्राम भोंडिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 236 रकबा 1.191 हेक्टेयर है। उक्त भूमि पर आवेदकगण द्वारा अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर भूमिस्वामी की हैसियत से कृषि कार्य कर रहे हैं । राजस्व निरीक्षक से ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश उक्त भूमि संजय जलाशय तालाब के निर्माण के समय राजस्व अभिलेखों में डूब क्षेत्र दर्ज की जाकर शासकीय इन्द्राज कर दी गई है, जबकि उक्त भूमि भोंडिया तालाब की सीमा में नहीं है, अतः त्रुटिपूर्ण किये गये इन्द्राज को संशोधित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम

भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–6–अ/11–12 दर्ज कर दिनांक 28–12–2011 को आदेश पारित किया जाकर संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि से शासकीय तालाब का नाम कम किया जाकर आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तदोपरांत तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश में अवैधानिकता पाते हुए पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर प्रकरण कमांक 6/अ–6–अ/2014–15 दर्ज कर दिनांक 29–5–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का पूर्व आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत शासन तालाब दर्ज करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, धार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–9–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–5–2015 स्थिर रखा जाकर अपीलें निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–11–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पूर्व आदेश को लगभग 4 वर्ष पश्चात पुनर्विलोकन में लिया गया है, जबकि इसके लिए 180 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28–12–2011 में अभिलेख से परिलक्षित प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि उक्त आदेश के पुनर्विलोकन का आधार नहीं होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है, और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि इसी भूमि से संबंधित प्रकरण कमांक 3/बी–121/13–14 एवं 66/बी–121/13–14 प्रचलित हुए हैं, जिन्हें इस प्रकरण के साथ संलग्न करने हेतु तहसीलदार के समक्ष अनुरोध किया गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरणों को संलग्न नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत कर बतलाया गया था कि प्रश्नाधीन सर्वे

नम्बर 236 का रकबा 0.064 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण हुआ है, सम्पूर्ण भूमि 1.191 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है । साथ ही सिंचाई विभाग का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग तालाब के लिए नहीं हो रहा है, और त्रुटिवश भूमि अधिग्रहण करना दर्शाया गया होगा, परन्तु तहसीलदार द्वारा गजट नोटिफिकेशन एवं सिंचाई विभाग के प्रमाण पत्र पर विधि अनुरूप विचार नहीं कर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार के पूर्व आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1980 से प्रश्नाधीन भूमि पर शासन तालाब दर्ज है, और लगभग 30 वर्ष पश्चात संशोधन हेतु आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई थी, क्योंकि संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत त्रुटि सुधार के लिए एक वर्ष की समय–सीमा में निर्धारित है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति लेकर तहसीलदार का पूर्व आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और उक्त आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया`। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण की ओर से तहसीलदार के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित प्रकरण कमांक 3/बी–121/13–14 एवं 66/बी–121/13–14 प्रचलित होकर पेशी दिनांक 10–4–15 नियत की गई थी, उक्त प्रकरणों को इस प्रकरण के साथ संलग्न किया जाये, क्योंकि उक्त प्रकरणों में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज संलग्न नहीं है। उपरोक्त आपत्ति तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि प्रवाचक द्वारा बताया गया कि प्रकरण उपलब्ध नहीं है, और आवेदक द्वारा सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई गई है, जो कि न्यायिक कार्यवाही नहीं है । तहसीलदार का दायित्व था कि वह न्यायहित में जॉच कराते कि उक्त प्रकरण दर्ज हुए हैं अथवा नहीं, और यदि दर्ज हुए हैं तो क्या प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित हैं अथवा नहीं, और यदि प्रकरण दर्ज होकर प्रश्नाधीन

भूमि से संबंधित थे, तब प्रकरण इस प्रकरण के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही करते । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष उत्तर प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन सर्वे क्रमांक 236 रकबा 0.064 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, 1.191 हेक्टेयर भूमि का नहीं । प्रमाण स्वरूप गजट की प्रति प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उक्त राजपत्र भू–अर्जन का है अथवा अन्य किसी का स्पष्ट नहीं, जो कि विधिसंगत निष्कर्ष नहीं है । तहसीलदार को चाहिए था कि या तो वे स्वयं अपने स्तर से राजपत्र की सम्पूर्ण प्रति प्राप्त कर अवलोकन करते अथवा आवेदक से मांग कर अवलोकन करते हुए निष्कर्ष निकालते । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा सिंचाई विभाग का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग तालाब निर्माण में नहीं हुआ है, और भू–अर्जन अधिकारी द्वारा गलती वश शासकीय दर्शा दिया गया होगा । इस संबंध में भी तहसीलदार द्वारा सिंचाई विभाग से स्पष्ट अभिमत प्राप्त करना था । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नहीं कर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसीलदार का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है, और तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए उनके आदेश भी निरस्ती योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि उपरोक्त प्रकिया अपनाई जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–11–2015, अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2015 एवं तहसीलदार, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार का प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर